प्रकरण 22/2017 अशोक मंगल / NHAI IIB प्रोजेक्ट व अन्य नि. दि. 24/4/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कायवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
24.04.18	उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थिया के अभिभाषक द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्र0सं0 61/2016 उवानी उमा मंगल/परि0निदे0 एनएचएआई दौसा में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2016 में अपील नम्बर 61/2016 के स्थान पर विविध प्रार्थना पत्र नम्बर 61/2016 अंकित अंकित किया जावे तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 20.12.2016 को अपास्त करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री विजय मित्तल एडवोकेट तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने नोटिस का जवाब पेश किया एंव अप्रार्थी संख्या 2 से टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की । प्रकरण में दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्र0सं0 61/2016 में अपील नम्बर 61/2016 के स्थान पर विविध प्रार्थना पत्र नम्बर 61/2016 दर्ज किया जावे तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण संख्या 61/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2016 को अपास्त किया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान जवाब एंव लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मध्यस्थ अधिकारी को निर्णय पारित करने के उपरान्त उसका पुनरावलोकन (REVIEW) किये जोन के अधिकार प्राप्त नही है। मध्यस्थम अधिकारी (Arbitrator) को मध्यस्थम अधिनियम 1996 की धारा 33 के तहत लिपिकीय त्रुटि को ही शुद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अवार्ड की गणना कृषि भूमि की दर से की गई है जो कानूनन सही है अवार्ड की समस्त प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित है जो प्रारम्भ से अन्त तक विधिक रूप से सम्पादित की जाती है एंव आपत्तिकर्ता को विधिवत् सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पूर्ण की जाती है। प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है तथा अवार्ड निर्णय में विधिक रूप से समस्त तथ्यो को समाहित किया गया है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष मनगढन्त एंव सारहीन तथ्य प्रस्तुत किये गये है जो	

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

ग्राहय नही है। अतः पुनरावलोकन खारिज किया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर गहनता पूर्वक मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि माध्यस्थतम अधिकारी अपने ही निर्णय को रिव्यू करने के लिए सक्षम नही है। मध्यस्थतम अधिनियम 1996 की धारा 33 के तहत लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध करने की शक्ति प्रदत्त है जिसके तहत प्रकरण संख्या 61/2016 उनवानी उमा मंगल बनाम परि. निदे.एनएचएआई दौसा में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2016 में अपील नम्बर के स्थान पर विविध प्रार्थना पत्र नम्बर अंकित किया जा सकता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्र0सं0 61/2016 उनवानी उमा मंगल बनाम परि0निदे0 एनएचएआई दौसा में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2016 में अपील नम्बर 61/2016 के स्थान पर विविध प्रार्थना पत्र नम्बर 61/2016 अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय में अपील नम्बर के स्थान पर लाल स्याही से विविध प्रार्थना पत्र नम्बर अंकित किया जावें। प्रार्थिया का शेष प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यह निर्णय प्र.सं. 61/2016 उनवानी उमा मंगल बनाम परि.निदे. एनएचएआई दौसा में पारित मूल निर्णय दिनांक 20.12.2016 का भाग रहेगा। यह पत्रावली मूल प्रकरण के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम हो।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर